कार्यालयआयुक्त,
केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर आयुक्तालय,जोधपुर
G-105, न्यूजोधपुरऔद्योगिकक्षेत्र, बासनी, जोधपुर-342003
दूरभाष. 0291-2795118/154/147/
ई-मेल : commcexjodh@rediffmail.com

फा.स.-I-(23)05/प्रशा./2003/ 998 दिनांक:-07.02.2020

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन की **"जहाँ है, जैसा है"** के आधार पर इस कार्यालय परिसर में दिनांक 04.03.2020 को प्रात: 11.00 बजे खुली बोली द्वारा नीलामी की जाएगी।

क्र.सं.	वाहन का विवरण/निर्माण- वर्ष	रजि. सं.	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1	Ambassador Car /2001	RJ-14-5C-4290	₹ 70,000/-	₹ 10000/-

नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से होंगी, जिसकी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgstjaipur.gov.in पर भी उपलब्ध है -

1. नीलामी में कोई भी अशासकीय व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु बोली लगाने से पूर्ण धरोहर राशि ₹ 10,000 केवल डिमांड ड्राफ्ट जो "प्रशासनिक अधिकारी(मु.), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर" के पक्ष में SBI Jodhpur को देय हो, जमा करवाना होगा। धरोहर राशि नकद में स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. वाहन की नीलामी निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, G-105, न्यू जोधपुरऔद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर-342003 के परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जाएगी।सफल बोली दाता को संपूर्ण राशि तुरंत राजकोष में जमा करवाकर इसका प्रमाण-पत्र अधो-हस्ताक्षर कर्त्ता को उसी दिन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. सफल बोलीदाता द्वारा यदि वाहन की सुपुर्दगी नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
5. सफल बोली दाता को वाहन के हस्तांतरण / पंजीयन अथवा निपटान की समस्त कार्यवाही मय खर्चे एवं देय करों को स्वयं को करनी होगी।
6. इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व वाहनों का निरीक्षण कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, G-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर-342003 के परिसर में किसी कार्यदिवस में 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक कर सकते हैं।
7. किसी भी बोली को निरस्त करने/अस्वीकृत करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षर कर्त्ता के पास रहेगा।

7-2-2020
(डी.पी.कजांरिया)
सहायक आयुक्त

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संपादक, दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका, जोधपुर को उक्त प्रेस विज्ञप्ति जोधपुर संस्करण में 72 स्कवायर से.मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।
3. अधीक्षक (कंप्यूटर), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।